

राजस्थान सरकार  
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।  
क्रमांक: स. 3 (2) (04) स्था/स0आ0अधि/अभि/2016/१०५३५ - ७६  
दिनांक 03.07.2017  
आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के पत्र क्रमांक एफ0 7 (25) भर्ती/क/APO/Non TSP/2013-14/1966 दिनांक 06.12.2016 व पत्र क्रमांक एफ0 7 (25) भर्ती/क/APO/TSP/2013-14/369 दिनांक 02.06.2017 से अभिस्थावित किये गये अभ्यर्थी श्री रामसिंह पुत्र श्री मंगु व टीएसपी आरक्षित सूची में चयनित अभ्यर्थी श्री संदीप खण्डेलवाल (GE LD) को सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर नियुक्ति प्रदान की जानी है।

अतः उपरोक्त अभ्यार्थियों के संबंध में पुलिस विभाग की विशेष शाखा से चरित्र सत्यापन से सम्बन्धित संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त होने के फलस्वरूप सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर नियुक्ति/पदस्थापना निम्नानुसार प्रदान की जाती है:—

नोन टीएसपी

क्र. सं	मेरिट नं.	नाम अभ्यर्थी मय पता	वर्ग	जन्म तिथि	पदस्थापन न्यायालय का नाम
1.	223	श्री राम सिंह पुत्र श्री मंगु निवासी जघीना, तीन थोक, तहसील व जिला भरतपुर	SC	18.07.1978	सीजे (जेडी) जेएम बारां

टीएसपी

क्र. सं	मेरिट नं.	नाम अभ्यर्थी मय पता	वर्ग	जन्म तिथि	पदस्थापन न्यायालय का नाम
1.	4	श्री संदीप खण्डेलवाल पुत्र श्री सम्पतराज खण्डेलवाल निवासी खण्डेलवाल सेल्स एजेन्सी, सुभाष पार्क के पास, पोस्ट धरियावाद, जिला प्रतापगढ़	GE, LD	04.05.1983	ग्राम न्यायालय, तलवाडा जिला बांसवाडा

चयनित अभ्यार्थियों को राजस्थान अभियोजन अधीनस्थ सेवा नियम 1978 के नियम 24 के अन्तर्गत नियुक्ति प्रदान की जाती है। राजस्थान अभियोजन अधीनस्थ सेवा नियम 1978 के नियम 26 (1) में उपरोक्त नवनियुक्त सहायक अभियोजन अधिकारियों का दो वर्ष का परिवीक्षा काल होगा। परिवीक्षा काल में वित विभाग की अधिसूचना एफ. 14(1) वित/ नियम/2014-II दिनांक 08.06.2015 के द्वारा इन्हें कुल 14660/- रूपये प्रतिमाह पारिश्रमिक देय होगा। तत्पश्चात् दो वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर नियमानुसार वेतन शृंखला पे बैण्ड (02)

9300–34800 ग्रेड पे (12) 4200/- देय होगी। नये भर्ती नियमों के अनुसार इनको अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

आदेश की तिथि से 7 दिन के अन्दर आवश्यक रूप से सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालय में उपस्थिति देंगे तथा कार्यग्रहण दिनांक से 10 दिवस तक सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन के अधीन व्यावहारिक प्रशिक्षणाधीन रहेंगे। उपस्थिति के समय मेडिकल ज्यूरिष्ट/सीएम एण्ड एचओ से स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उपस्थिति मान्य होगी।

पदग्रहण के समय अधिकारीगण सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन के समक्ष इस आशय का शपथ पत्र भी विहित प्रारूप में प्रस्तुत करेंगे कि वे सेवा सम्बन्धी किसी प्रकार की निरहता से ग्रसित नहीं हैं।

उपरोक्त सहायक अभियोजन अधिकारीगण के पद पर नियुक्ति/पदस्थापन माननीय न्यायालयों में लम्बित याचिकाओं में पारित निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

आज्ञा से,  
१८/३७/१७  
(देवेन्द्र दीक्षित)  
निदेशक अभियोजन  
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय गृहमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, सचिव, कार्मिक विभाग।
7. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, गृह (ग्रुप-10) विभाग।
8. समस्त उप/सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान, मुख्यालय सहित।
9. सम्बन्धित नवनियुक्त सहायक अभियोजन अधिकारी, (रजिस्टर्ड डाक द्वारा)
10. निजी पत्रावली / समस्त शाखा, अभियोजन निदेशालय।
11. रक्षित पत्रावली।

२१६  
निदेशक अभियोजन  
राजस्थान जयपुर